"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2007—कार्तिक 25, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

It is hereby notified for the information of all authorities concerned and the public that I, James George T., S/o George Jacob, Thyparampil House, Perumpanachy P. O., Changanasseri, District-Kottayam, Kerala State, Presently residing at Qr. No.-56B, Pocket-D, Maroda Sector, Bhilai, District-Durg, Chhattisgarh State-490006, have changed the name of my minor daughter Ria Treasa James holder of birth certificate registration No.-1279, issued on date 06-APR-2000 from corporation of Kochi, Kerala State as REIA JAMES THYPARAMPIL and for the said intention had already submitted an affidavit before the competent authority.

Therefore my daughter Ria Treasa James should be known by her new name Reia James Thyparampil (written as Reia James T.).

Old Name	New Name
Ria Treasa James	Reia James Thyparampil
D/o James George T.	D/o James George T.
R/o Qr. No. 56B, Pocket-D	R/o Qr. No. 56B, Pocket-D
Maroda Sector, Bhilai	Maroda Sector, Bhilai
District-Durg (C.G.)	District-Durg (C.G.)

CHANGE OF NAME

It is hereby notified for the information of all authorities concerned and the public that I, James George T., S/o George Jacob, Thyparampil House, Perumpanachy P. O., Changanasseri, District-Kottayam, Kerala State. Presently residing at Qr. No.-56B, Pocket-D, Maroda Sector, Bhilai, District-Durg, Chhattisgarh State-490006, have changed the name of my minor daughter Anita Maria James holder of birth certificate registration No.-35, issued on date 06-AUG-2004 from corporation of Kochi, Kerala State as MERRIN JAMES THYAPARAMPIL and for the said intention had already submitted an affidavit before the competent authority.

Therefore my daughter Anita Maria James should be known by her new name Merrin James Thyparampil. (written as Merrin James T.).

Old Name	**New Name**
Anita Maria James D/o James George T. R/o Qr. No. 56B, Pocket-D Maroda Sector, Bhilai District-Durg (C. G.)	Merrin James Thyparampil D/o James George T. R/o Qr. No. 56B, Pocket-D Maroda Sector, Bhilai District-Durg (C. G.)

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
(Statutory Body Under the Advocate Act 1961)

HIGH COURT PREMISES, BILASPUR (C. G.)

Bilaspur, the 4th November 2007

Ref. No. SBC/C.G./Election/Notification-11/2007.—It is hereby notified that the election of 25 Members of State Bar Council of Chhattisgarh held on 1st October 2007 and as required under section 30 (3) of State Bar Council of Chhattisgarh Election Rules 2006 following candidates have been declared elected as Members of the State Bar Council of Chhattisgarh.

Sl. No. (1)	Name (2)	Address (3)
1.	Shri Faisal Rizvi*	S/o Syed Afzaal Ahmed Rizvi, G. E. Road, Raipur (C. G.)
2.	Shri Awadh Kumar Tripathi*	Green Park Colony, Jarhabhata, Raipur Road, Bilaspur (C. G.)
3.	Shri Tiharu Ram Nirala*	C-62, Swarn Jayanti Nagar, Ring Road No. 2, Bilaspur (C. G.)
4.	Shri Shailendra Dubey*	1-Shivayatan, Hari Krishna Colony, Bilaspur (C. G.)
5.	Shri Devesh Kumar Dixit*	Dixit Chawl, Chatapara, Bilaspur (C. G.)
6.	Shri Ashok Kumar Tiwari*	MIG-23, R. P. Nagar, Korba (C. G.)
7.	Shri Padma Kumar Agrawal*	Shiv Sadan, Murarka Lane, Korba (C. G.)

(1)	(2)	(3)
8.	Shri Yashwant Tiwari*	56, Teacher's Colony, Durg (C. G.)
9.	Shri Santosh Kumar Verma*	Zone-2, Street No. 6 New Adrash Nagar, Durg (C. G.)
10.	Shri Kosh Ram Sahu*	1/295, Kota PO-Ravi Shankar University, Raipur (C. G.)
11.	Shri Yogesh Chandra Sharma*	Bramhanpara, Raipur (C. G.)
12.	Shri Krishna Kumar Shukla*	Teachers Colony, Dagania, Raipur (C. G.)
13.	Shri Ram Narayan Vyas*	24,Vivekanand Nagar, Raipur (C. G.)
14.	Shri Abdul Wahab Khan*	Link Road, Bilaspur (C. G.)
15.	Shri Basant Rai*	Baldeo Bag, Rajnandgaon (C. G.)
16.	Shri Shiv Narayan Pandey*	C/o Shesh Narayan Tiwari, Tiwari Building, Jagdalpur (C. G.)
17.	Shri Sushil Kumar Chaturvedy*	Shitla Ward, Bramha Road, Ambikapur (C.G.)
18.	Shri Arun Kumar Kochar*	Behind Raghuraj Stadium, Imlipara, Bilaspur (C. G.)
19.	Shri Badshah Prasad Singh*	C/o Dr. P. P. Singh, Near Sharda Talkies, H. No. 212, Indira Market, Durg (C. G.)
20.	Shri Praveen Gupta*	Ambedkar Chowk, Manendragarh Road, Ambikapur (C. G.)
21.	Shri Anand Kumar Sharma*	Shitla Mandir Marg, Kankalipara, Raipur (C. G.)
22.	Shri Anand Mohan Thakur*	27/78-1, Purani Basti Old Police Line, Raipur (C. G.)
23.	Shri Liladhar Singh Chandra*	Hatri Road, Sakti (C. G.)
24.	Shri Vivek Ranjan Tiwari*	Bodhpunj, Juna Bilaspur (C. G.)
25.	Shri Pankaj Shrivastava	Opp. Swami Daily Needs, Jaiswal Gali, High Court Road, Bilaspur (C. G.)

V. A. NARAYANAN,
Returning Officer &
Officiating Secretary.

विविध

निविदा सूचनाएं

दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

मतदाता सूचियों के कम्प्यूटराईजेशन एवं मुद्रण हेतु

क्रमांक/581/निर्वा./स्टोर/मत. सूची मुद्रण/निविदा/07.—भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार दन्तेवाड़ा जिले के 3 विधान सभा क्षेत्रों के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2006 पश्चात् तैयार किये गये पाण्डुलिपियों के अनुसार मतदाता सूचियों के डाटा इन्ट्री (कम्प्यूटराईजेशन तथा मुद्रण) कार्य के लिये निम्न शर्तों के साथ निविदा आमंत्रित की जाती है.

1. निविदा के तहत निविदाकार को अपना प्रस्ताव रु. 5000/- (पांच हजार रुपये) के बैंक ड्राफ्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी, दन्तेवाड़ा को देय होंगे के साथ जमा करना होगा. यह प्रस्ताव दिनांक 29-10-2007 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दन्तेवाड़ा में जमा किया जा सकता है.

2. निविदाकार को अपने निविदा प्रविष्ट के साथ फर्म का पंजीयन (यदि कोई हो), कार्य अनुभव संबंधी प्रतिवेदन तथा उपलब्ध साधन जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर की संख्या एवं आफसेट प्रिंटिंग के साधन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराना होगा.

3. सफल निविदाकार को प्रति विधान सभा रु. 5000/- (पांच हजार रुपये) के हिसाब से सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के साथ करारनामा निष्पादित करना होगा.

4. पूरक मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण का कार्य समयावधि में पूर्ण किया जाना है, इसलिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को पूर्णत: पालन करते हुये राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (चिप्स) के तकनीकी मार्गदर्शन में मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण तथा मुद्रण का कार्य प्रति मतदान केन्द्र 10 प्रतियों में करना होगा.

5. शासकीय मुद्रणालय से कागज की व्यवस्था नहीं हो पाने की दशा में सफल निविदाकार को कागज की व्यवस्था स्वयं को करना होगा जो 60 जी. एस. एम. व्हाईट आफसेट पेपर का होगा. जिसकी गुणवत्ता व दर शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से प्रमाणित कराया जाना होगा.

6. मतदाता सूचियों की प्रथम चेक लिस्ट प्रदाय करने की समय सीमा दिनांक 5-11-2007 निर्धारित की जाती है तथा द्वितीय चेक लिस्ट दिनांक 09-11-2007 तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा. जिससे कि दिनांक 15-11 2007 तक अंतिम रूप से परीक्षण किया जाकर 10 प्रतियों में प्रकाशन कराये जाने हेतु वापस प्रदाय किया जा सके. इस समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित निविदाकार को विलम्ब के लिये प्रति विधान सभा प्रतिदिन रुपये 1000/- (एक हजार रुपये) दण्ड आरोपित किया जावेगा, जिसकी वसूली उनके द्वारा जमा सुरक्षा निधि से अथवा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती कर के की जावेगी. अपरिहार्य परिस्थितियों में समय सीमा में वृद्धि करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा. जिसका उपयोग अन्य परिस्थितियों में विचार कर अंतिम विकल्प के रूप में किया जा सकेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं होगा.

7. कार्य का स्वरूप :—

अ. संक्षिप्त पुनरीक्षण पश्चात् पूरक मतदाता सूचियों की डाटा इन्ट्री (कम्प्यूटराईजेशन) एवं मुद्रण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (चिप्स) के मार्गदर्शन एवं तकनीकी निर्देशन अनुसार कम्प्यूटराईजेशन तथा मुद्रण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व साफ्टवेयर का अनुमोदन लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति से ही कार्य सम्पन्न किया जायेगा एवं मतदान केन्द्रवार 10 प्रतियों में मुद्रित प्रतियों को जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा.

ब. सफल निविदाकार को मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या की गणना के आधार पर स्वीकृत दर के अनुसार भुगतान किया जावेगा.

8. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप, आकार, प्रकार तथा निर्धारित पद्धति से ही मुद्रण का कार्य सम्पन्न किया जावेगा. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि पाये जाने पर निविदाकार को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान प्राप्त करने से वंचित किया जा सकेगा.

9. निविदा जमा करने के इच्छुक व्यक्ति निविदा फार्म एवं अन्य शर्तें रु. 100/- (सौ रुपये) जमा कर इस कार्यालय से कार्यालयीन समय पर प्राप्त कर सकते हैं.

10. इच्छुक निविदाकार अपने निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 27-10-2007 तक ही इस कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे और उक्त निविदा की दरें सीलबंद लिफाफे में समय सीमा दिनांक 29-10-2007 को अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं. दिनांक 29-10-2007 को ही अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित सभी निविदाकारों के समक्ष निविदा खोली जावेगी प्राप्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के पास सुरक्षित होगा तथा इस संबंध में कारण बताना आवश्यक नहीं होगा.

के. आर. पिस्दा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक/256/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री मोतीलाल झाबक आ. स्व. श्री आसकरन झाबक, निवासी नयापारा, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 23-11-07 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्रीमती चंपादेवी मोतीलाल झाबक चैरिटेबल ट्रस्ट नयापारा, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	आई. डी. बी. आई. बैंक, रायपुर, खाता क्र. 04910400231930, राशि 1561004=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक/257/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री मोतीलाल झाबक आ. स्व. श्री आसकरन झाबक, निवासी नयापारा, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 23-11-07 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	मोतीलाल गौतमचंद झाबक चैरिटेबल ट्रस्ट नयापारा, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	आई. डी. बी. आई. बैंक, रायपुर खाता क्र. 04910400231831, राशि 5,21,995=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

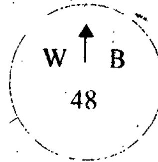
अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, बीजापुर वनमंडल, बीजापुर, जिला-बीजापुर (छ. ग.)

बीजापुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/380.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, परिक्षेत्र भोपालपट्टनम के सहायक परिक्षेत्र, तारलागुड़ा के परिसर कोतूर, परिसर रक्षक, अल्वा कन्हैया परिसर भ्रमण के दौरान दिनांक 26-4-06 को उक्त निम्न दर्शित आकृति के बीट हेमर की जंगल में गुम होने संबंधी-सूचना परिक्षेत्र अधिकारी भोपालपट्टनम के माध्यम से दिया गया. संबंधित वन रक्षक द्वारा गुमशुदा हेमर की रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज नहीं कराई गई है. प्रभारी द्वारा आवेदन में लेख अनुसार लापरवाहीपूर्वक कार्य करने के कारण हेमर गुमना पाया गया. प्रभारी द्वारा गुमशुदा हेमर संबंधी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही भी नहीं किया गया.

हेमर आकृति



वन वित्तीय नियम 124 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा उपरोक्त दर्शित हेमर को अपलेखित किया जाता है.

1. श्री अल्बा कन्हैया, परिसर रक्षक, कोतूर से गुमशुदा हेमर की राशि 100/- (एक सौ रुपये) वसूली करने का आदेश दिया जाता है.

2. लापरवाहीपूर्वक हेमर गुमाने एवं पुलिस थाना में निम्नानुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के कारण आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है.

उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया समीप के वन कार्यालय या नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल जमा करें एवं इस कार्यालय को सूचित करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हेमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. चन्देले,
वनमंडलाधिकारी.

वनमंडलाधिकारी, उत्तर कोण्डागांव वनमण्डल, कोण्डागांव जिला-बस्तर (छ. ग.)

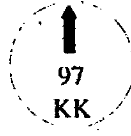
कोंडागांव, दिनांक 06 अक्टूबर 2007

क्रमांक/मा. चि./09.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शाये गये सदाड़ी बीट का बीट हैमर एवं कूप-IV I. F. S. छेरीबेड़ा, कक्ष क्रमांक-RF/195 के लिये आवंटित फेलिंग हैमर फरसगांव परिक्षेत्र के श्री महादेव यादव, परिसर रक्षक, सदाड़ी द्वारा कूप में परिवहन ठेकेदार को काष्ठ एवं जलाऊ चट्टे कूप से लोड़िंग करवाकर चालान देने हेतु कूप में दिनांक 12-01-2007 को ले जाया गया था. कूप में चालान जारी करते वक्त सशस्त्र नक्सलवादियों द्वारा श्री महादेव यादव, परिसर रक्षक से मारपीट कर साथ में रखे समस्त अभिलेखों के साथ बीट हैमर एवं फेलिंग हैमर छीन कर ले गये हैं जो आज दिनांक तक नहीं मिले. इसकी सूचना पुलिस थाना, बेनूर, जिला-बस्तर को दी जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम-124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नक्सलवादियों द्वारा छीन लिये गये हैमर को वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपर्युक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम थाने में अथवा वनमंडल कार्यालय में जमा करें. इस

विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते वक्त पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.





व्ही. एस. लकड़ा,
भा. व. से.,
वनमण्डलाधिकारी.

वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 22 अक्टूबर 2007



क्रमांक/मा. चि./8-14/677.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित आकृति का बीट एक्स हेमर परिक्षेत्र अधिकारी, बाघनदी के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, सड़क चिरचारी के परिसर बीट, सड़क चिरचारी हेतु निर्गमन किया गया था जिसे श्री अशोक कुमार सोनी, परिसर रक्षक, सड़क चिरचारी द्वारा दिनांक 05-09-07 को बीट भ्रमण के दौरान कहीं पर अचानक गिर कर खो गया.

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, सड़क चिरचारी के माध्यम से परिक्षेत्र अधिकारी, बाघनदी के पत्र क्र. 643 दि. 12-09-07 के द्वारा सूचित किया गया है. इस बीट हेमर के गुमने की सूचना पुलिस थाना, बाघनदी में परिसर रक्षक, श्री अशोक कुमार सोनी द्वारा क्रमांक 12107 दि. 09-09-07 में दर्ज करा दिया गया है.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त बीट हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 33.00 रुपये वन परिसर रक्षक, श्री अशोक कुमार सोनी से वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दंड का भागी होगा.

राजेश नन्होरिया,
वन मंडल अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.